



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुड़ामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2025 / 456

दर्ज तिथि:-03.07.2025

1. सुमेराराम उर्फ सुमेरसिंह पुत्र बनाराम

2. रतनाराम पुत्र बनाराम

जाति जाट निवासी बातों की ढाणी पटवार क्षेत्र सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. कमलादेवी पत्नी भंवरलाल

2. पालूदेवी पत्नी मांगीलाल जाति सुथार

3. गौतम पुत्र सोनाराम

4. जालमराम पुत्र सोनाराम

5. दूदाराम पुत्र सोनाराम

6. प्यारीदेवी पत्नी चुतराराम

7. सुरेश कुमार पुत्र चुतराराम

जाति पुरोहित निवासी पादरडी कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

8. तहसीलदार गुड़ामालानी

.....प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते

उपस्थित अधिवक्ता

प्रार्थी:- श्री रिडमलराम चौधरी

प्रतिवादीगण:-एकतरफा

वादपत्र अन्तर्गत धारा-188

राज0 काश्त0 अधि0-1955

:-निर्णय:-

निर्णय तिथि:-22.12.2025

1. आज यह पत्रावली राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-188 के अन्तर्गत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 387/1/10.1252 है0 मौजा बातों की ढाणी एवं खसरा संख्या 149/1.1250 है0 मौजा पादरडी कला पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित हैं। वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है एवं वादी की खातेदारी आराजी पर



वादी की रहवासी ढाणी, टांके, पशुबाड़े आदि बने हुए हैं। वादीगण की उक्त आराजी के पड़ोस में प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 148, 148/1 अवस्थित है। प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि की पुरानी माठों को तोड़कर जबरन कब्जा करने पर आमादा हैं। प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि पर अपना अनाधिकृत कब्जा वादी के कब्जा काश्त की भूमि को अपनी भूमि बताकर अवैध कब्जा करना चाहते हैं तथा वादी की खातेदारी भूमि पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

2. दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद विधिवत तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात पत्रावली वादी साक्ष्य में रखी गई।
3. वादी द्वारा प्रकरण में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य व प्रदर्श प्रस्तुत किए गए:-

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खाता संख्या 71 मौजा बातों की ढाणी सम्वंत 2073-2076	प्रदर्श-01
नक्शा	खसरा संख्या 387/1 मौजा बातों की ढाणी	प्रदर्श-02
जमाबंदी	खाता संख्या 130 मौजा पादरड़ी कला सम्वंत 2072-2075	प्रदर्श-03
नक्शा	खसरा संख्या 149 मौजा पादरड़ी कला	प्रदर्श-04
जमाबंदी	खाता संख्या 121 मौजा पादरड़ी कला सम्वंत 2072-2075	प्रदर्श-05
जमाबंदी	खाता संख्या 131 मौजा पादरड़ी कला सम्वंत 2072-2075	प्रदर्श-06
नक्शा	लट्ठा ट्रेस मौजा पादरड़ी कला एवं बातों की ढाणी	प्रदर्श-07
-	नेखमबंदी आदेश प्रकरण संख्या 106/19	प्रदर्श-08ए
-	नेखमबंदी आदेश प्रकरण संख्या 106/2019	प्रदर्श-09ए

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा निम्न गवाह साक्ष्य प्रस्तुत किए गए:-

क्र.स.	नाम मय वल्दीयत	निवासी
पी. डब्ल्यू.-1	सुमेराराम पुत्र बन्नाराम जाति जाट	पादरड़ी कला बातों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
पी.डब्ल्यू.-2	रतनाराम पुत्र बन्नाराम जाति जाट	पादरड़ी कला बातों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी

पी.डब्ल्यू-3	मोतीराम पुत्र हेमाराम जाति कलबी	हेमागुड़ा तहसील गुड़ामालानी
पी.डब्ल्यू-4	प्रहलादराम पुत्र फुसाराम जाति जाट	पादरड़ी खुर्द तहसील गुड़ामालानी

5. प्रकरण में प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए वादी की विवादित आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादवर्णित अनुतोष मुताबिक स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री किया जावे।
6. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में मुख्य अनुतोष प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

188. Injunction against wrongful ejection—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई है:-

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।

3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

7. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादीगण का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।
8. उक्त प्रकार से स्पष्ट है कि उक्त खातेदारी आराजी वादीगण की निजी खातेदारी आराजी है तथा प्रतिवादीगण का उक्त वादीगण की खातेदारी आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैं:-

परिस्थिति	विवरण	विश्लेषण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 387/1/10.1252 है0 मौजा बातों की ढाणी एवं खसरा संख्या 149/1.1250 है0 मौजा पादरडी कला पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 387/1/10.1252 है0 मौजा बातों की ढाणी एवं खसरा संख्या 149/1.1250 है0 मौजा पादरडी कला पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
1.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 387/1/10.1252 है0 मौजा बातों की ढाणी एवं खसरा संख्या 149/1.1250 है0 मौजा पादरडी कला पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं

	पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।	करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक मुआवजा दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।
2.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान /घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।	अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 387/1/10.1252 है0 मौजा बातों की ढाणी एवं खसरा संख्या 149/1.1250 है0 मौजा पादरडी कला पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
3.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।	<p>1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 387/1/10.1252 है0 मौजा बातों की ढाणी एवं खसरा संख्या 149/1.1250 है0 मौजा पादरडी कला पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण की निजी खातेदारी आराजी परखातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से रोकने का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाया गया है।</p> <p>2. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 387/1/10.1252 है0 मौजा बातों की ढाणी एवं खसरा संख्या 149/1.1250 है0 मौजा पादरडी कला पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में बेदखली के अनेक वाद न्यायालय में दायर होते रहेंगे।</p> <p>3. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 387/1/10.1252 है0 मौजा बातों की ढाणी एवं खसरा संख्या 149/1.1250 है0 मौजा पादरडी कला पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में मुआवजे के वाद न्यायालय में दायर होते रहेंगे।</p> <p>4. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 387/1/10.1252 है0 मौजा बातों की ढाणी एवं खसरा संख्या 149/1.1250 है0 मौजा</p>

		<p>पादरडी कला पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में उभयपक्षकारों के मध्य फौजदारी के प्रकरण सामने आ सकते हैं। अतः विवादों की बहुलता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है।</p>
--	--	---

9. इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 387/1/10.1252 है0 मौजा बातों की ढाणी एवं खसरा संख्या 149/1.1250 है0 मौजा पादरडी कला पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होता है। वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 387/1/10.1252 है0 मौजा बातों की ढाणी एवं खसरा संख्या 149/1.1250 है0 मौजा पादरडी कला पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होने से सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में झुकाव रखता है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। साथ ही यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु चार परिस्थितियां भी वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होना इंगित करती है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः

आदेश है कि

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 387/1/10.1252 है0 मौजा बातों की ढाणी एवं खसरा संख्या 149/1.1250 है0 मौजा पादरडी कला पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात् फसल बोने-जोतने, काटने, लाने-ले जाने में रुकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर डिक्री किया जाता है।

सुमेराराम उर्फ सुमेरसिंह बनाम कमलादेवी

2025/456

निर्णय दिनांक:-22.12.2025

उक्त निर्णयानुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 22.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर





न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुड़ामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2025 / 456

दर्ज तिथि:-03.07.2025

1. सुमेराराम उर्फ सुमेरसिंह पुत्र बनाराम

2. रतनाराम पुत्र बनाराम

जाति जाट निवासी बातों की ढाणी पटवार क्षेत्र सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. कमलादेवी पत्नी भंवरलाल

2. पालूदेवी पत्नी मांगीलाल जाति सुथार

3. गौतम पुत्र सोनाराम

4. जालमराम पुत्र सोनाराम

5. दूदाराम पुत्र सोनाराम

6. प्यारीदेवी पत्नी चुतराराम

7. सुरेश कुमार पुत्र चुतराराम

जाति पुरोहित निवासी पादरडी कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

8. तहसीलदार गुड़ामालानी

.....प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते

उपस्थित अधिवक्ता

प्रार्थी:- श्री रिडमलराम चौधरी

प्रतिवादीगण:-एकतरफा

वादपत्र अन्तर्गत धारा-188

राज0 काश्त0 अधि0-1955

—:पर्चा डिक्री:-

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 387/1/10.1252 है0 मौजा बातों की ढाणी एवं खसरा संख्या 149/1.1250 है0 मौजा पादरडी कला पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की

सुमेराराम उर्फ सुमेरसिंह बनाम कमलादेवी

2025/456

निर्णय दिनांक:-22.12.2025

उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काशत में अर्थात फसल बोने-जोतने, काटने, लाने-ले जाने में रुकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर डिक्री किया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 22.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गयी एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी की गई।



(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर